



# कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169 / स्टे.आयु./ 2022-23 / 4690

भिलाई, दिनांक 03/03/23

## // आदेश //

नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के "मोर मकान मोर चिन्हारी" (एएचपी) तथा "मोर मकान मोर आस" अंतर्गत स्लम/गैर स्लम में किराये के आवासगृह में निवासरत् पात्र हितग्राहियों को योजना में निर्मित दो कमरों का पक्का आवास आबंटन के पश्चात् इकरारनामा में हस्ताक्षर करने श्री डी.के. वर्मा, कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) के तहत् आयुक्त की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(रोहित व्यास)  
भा.प्र.से.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई  
भिलाई, दिनांक 03/03/23

पृ. क/एफ-169 / स्टे.आयु./ 2022-23 / 4691

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/उद्यान/कम्प्युटर/भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ ।
6. श्री डी.के. वर्मा, कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ व पालनार्थ ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख ..... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ ।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई